



पत्रांक:-4979/01/29/HFA-12/2017-18

दिनांक:-13 मार्च, 2018

परियोजना अधिकारी,
डूडा, मेरठ।

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु लाभार्थी की पात्रता के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3432/डूडा-मेरठ/2017-18 दिनांक 10.03.2018 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा जियो टैगिंग के उपरान्त प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु 451 लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिसमें 02 लाभार्थी के नाम डीपीआर की सूची में न मिलने के कारण जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा 449 लाभार्थियों की पुनः जिला स्तरीय अधिकारियों से जाँच करायी गयी। आपके पत्र में दर्शित विभिन्न कारणों से जांच समिति द्वारा लाभार्थियों को अपात्र दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा अभिकरण स्तर से मार्गदर्शन मांगा गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाइड लाइन्स के अनुसार पात्रता का प्राविधान निम्नवत् है:-

1. यदि किसी लाभार्थी की गाटर सिल्ली की छत है, जो पक्के आवास की श्रेणी में नहीं आता, वह BLC(N) हेतु पात्र लाभार्थी है।
2. यदि किसी लाभार्थी का अर्द्ध पक्का आवास है, जो पक्के आवास की श्रेणी में नहीं आता, वह BLC(N) हेतु पात्र लाभार्थी है।
3. यदि लाभार्थी की भूमि 21-30 वर्ग मी० के मध्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एनबीसी मानक के अनुसार लाभार्थी के पास उपलब्ध भूमि पर 21-30 वर्ग मी० (कारपेट एरिया) के मध्य उसका दोमंजिला (G+1) आवास निर्मित किया जा सकता है।
4. यदि लाभार्थी के पिता/माता/ससुर/सास के नाम भूमि है, तो उनसे अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवास बनाया जा सकता है।
5. यदि लाभार्थी के पिता/माता का पक्का मकान, परन्तु लाभार्थी आगे बनवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि पक्का आवास के बाद भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में पिता/माता से अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर आवास बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी भूमि उपलब्ध न होने पर पक्के आवास के ऊपर बनवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व निर्मित आवास के Structure Stability के दृष्टिगत उपयुक्तता की स्थिति में पिता/माता की अनापत्ति शपथ पत्र के पश्चात् ही बनाया जा सकता है।

(2)

6. ऐसी लाभार्थी जो सम्बन्धित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत है, किन्तु उनके पास भू-स्वामित्व सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में लाभार्थी से सम्पत्ति कर या हाऊस टैक्स की रसीद व शपथ पत्र प्राप्त कर उसे BLC घटक में लाभ प्रदान किया जा सकता है।
7. यदि लाभार्थी का पूर्व में एक कमरा पक्का बना हुआ है, जो कि एनबीसी के अनुसार 9 वर्ग मी० से कम है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी का BLC(N) में आवास निर्मित किया जा सकता है।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
3. सहा० परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक